न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश रावतसर, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी —: **राजन खत्री,**
R.J.S.(DJ Cadre)

विविध दीवानी (एन) CIS प्रकरण संख्या —: 09/2026

1. संतोष पत्नी स्व. जसवंत सिंह, उम्र 85 वर्ष, निवासी कल्लासर, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।
2. दारासिंह पुत्र स्व. जसवंत सिंह, उम्र 47 वर्ष, निवासी कल्लासर, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।
3. गजेन्द्र पुत्र स्व. जसवंत सिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी कल्लासर, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।
4. बिमला देवी पुत्री स्व. जसवंत सिंह, उम्र 44 वर्ष, निवासी कल्लासर, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।

— प्रार्थीगण

बनाम

1. हर आम व खास ।
2. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पल्लू, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 372 उत्तराधिकार अधिनियम

उपस्थिति :—

01. श्री जितेन्द्र सिंह जोधा, अधिवक्ता — प्रार्थीगण की ओर से।
02. अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

—: निर्णय :— दिनांक —: 26—05—2026

01. प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा—372 उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत मृतक जसवंत सिंह के विधिक उत्तराधिकारी की हैसियत से अप्रार्थी हर आम व खास आदि के विरूद्ध दिनांक 07—01—2026 को प्रस्तुत किए जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

02. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया सं. 1 के पति व प्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के पिता जसवंत सिंह का देहान्त दिनांक 13.04.2021 को हो चुका है। प्रार्थिया सं. 1 के पति व प्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के पिता जसवंत सिंह के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा पल्लू में बैंक खाता सं. 61025600530 है, जिसमें 1,15,192/—रूपये जमा है। मृतक जसवंत सिंह के उक्त बैंक खाता में

कोई नोमिनी दर्ज नहीं था। उक्त बैंक खाता में जमा राशि के वारीस प्रथम श्रेणी के प्रार्थीगण है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 से उक्त बैंक खाता की राशि देने हेतु कहा तो अप्रार्थी सं. 2 ने सक्षम न्यायालय का उतराधिकार प्रमाण–पत्र के बिना देने से इन्कार कर दिया है। अंत में प्रार्थना पत्र वांछित अनुतोष अनुसार स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

03. इस प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थी हर आम खास एवं अन्य के नाम से नोटिस जारी किए गए एवम् अखबार में सूचना प्रकाशित करने के आदेश पारित किए गए, जिस पर दिनांक 25–04–2026 को अखबार में सूचना प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रति पेश की गई। हरआम खास की तामील नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। मृतक के अन्तिम निवास स्थान पर नोटिस की प्रति चस्पा की गई, एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई, लेकिन प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध स्वरूप हर आम व खास की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 25.04.2026 को अप्रार्थी हर आम व खास के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा अप्रार्थी सं. 2 के नोटिस की तामील हो जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 16.03.2026 को अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

04. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्न प्रकार से है –:

> **"आया प्रार्थीगण, मृतक जसवंत सिंह के बैंक खाता में जमा राशि को प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करवाने के अधिकारी हैं ?"**

05. साक्ष्य में प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में ए0ड0 1 संतोष, ए0ड0 2 दारासिंह व ए0ड0 3 गजेन्द्र को पेश कर परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 ता प्रदर्श–12ए को प्रदर्शित करवाया।

06. बहस एकपक्षीय सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवम् दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित है कि प्रार्थीगण मृतक जसवंत सिंह के पुत्रगण/पति हैं। प्रार्थीगण मृतक जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी होने से मृतक जसवंत सिंह के बैंक खाता में जमा राशि को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अंत में प्रार्थीगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए जाने का निवेदन किया।

07. प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विचारणीय बिन्दु पर न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है :–

–: विचारणीय बिन्दु :–

08. विचारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने का भार प्रार्थीगण पर था, जिसके तहत प्रार्थीगण को यह साबित करना था कि प्रार्थीगण मृतक जसवंत सिंह के बैंक खाता में जमा राशि को प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी करवाने का अधिकारी है।

09. प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह अंकन किया गया है कि प्रार्थिया सं. 1 के पति व प्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के पिता जसवंत सिंह का देहान्त दिनांक 13.04.2021 को हो चुका है। प्रार्थिया सं. 1 के पति व प्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के पिता जसवंत सिंह के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा पल्लू में बैंक खाता सं. 61025600530 है, जिसमें 1,15,192/–रूपये जमा है। आवेदकगण ही स्वर्गीय जसवंत सिंह के विधिक वारिस हैं, इनके अलावा अन्य कोई जायज व कानूनी वारिस नहीं है।

10. इस सम्बन्ध में ए0ड0 1 संतोष, जो कि मृतक जसवंत सिंह की पत्नी है, ने जरिए शपथ–पत्र सशपथ कथन किए हैं कि उसके पति जसवंत सिंह की दिनांक 13.04.2021 को मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थिया के पति के देहान्त के बाद उनके जायज वारिसों में प्रार्थिया व प्रार्थीगण सं. 2 ता 4 हैं। प्रार्थिया सं. 1 के पति व प्रार्थीगण सं. 2 ता 4 के पिता जसवंत सिंह के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा पल्लू में बैंक खाता सं. 61025600530 है, जिसमें 1,15,192/–रूपये जमा है। आवेदकगण ही स्वर्गीय जसवंत सिंह के विधिक वारिस है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 2 के समक्ष उपस्थित होकर बैंक में जमा राशि देने का निवेदन किया तो अप्रार्थी सं. 2 ने बिना उत्ताधिकार प्रमाण पत्र के बैंक में जमा राशि देने से इनकार कर दिया। प्रार्थीगण के अलावा अन्य कोई जायज व कानूनी वारिस नहीं है।

11. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का कोई खण्डन अप्रार्थी की ओर से नहीं किया गया है।

12. प्रार्थना पत्र के अनुसार मृतक जसवंत सिंह के कुल 4 वारिस होना बताए गए हैं तथा जसवंत सिंह की मृत्यु दिनांक 13–04–2021 को होने की पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–3ए से होती है। पत्रावली पर उपलब्ध हर आम व खास को जारी किए गए नोटिस के सम्बन्ध में अखबार की प्रति पेश की गई है एवं हर आम खास की तामील नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। मृतक के अन्तिम निवास स्थान पर नोटिस की प्रति चस्पा की गई,

एक प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई, लेकिन प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के विरोध स्वरूप हर आम व खास की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आया है तथा अप्रार्थी सं. 2 की तामील हो जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण मृतक जसवंत सिंह के क्रमशः पत्नी/पुत्रगण हैं। उपर्युक्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मृतक जसवंत सिंह के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा पल्लू में बैंक खाता सं. 61025600530 है, जिसमें 1,15,192/–रूपये जमा है। उक्त राशि को प्रार्थीगण मृतक जसवंत सिंह के जायज वारिसान होने के कारण प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के अनुसार प्रार्थीगण विचारणीय बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है, अतः विचारणीय बिन्दु उक्तानुसार प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

–: अनुतोष :–

14. चूंकि प्रार्थीगण प्रकरण के विचारणीय बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है, इस कारण प्रार्थीगण को मृतक जसवंत सिंह के विधिक उत्तराधिकारी होने से उत्तराधिकारी घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

15. फलतः प्रार्थीगण संतोष पत्नी स्व. जसवंत सिंह, उम्र 85 वर्ष, निवासी कल्लासर, तहसील पल्लू, जिला हनुमानगढ़ आदि का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 372, उत्तराधिकार अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को मृतक जसवंत सिंह के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा पल्लू में बैंक खाता सं. 61025600530 में 1,15,192/–रूपय जमा राशि को प्राप्त करने के लिए विधिक उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। नियमानुसार न्याय–शुल्क प्रस्तुत करने पर उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

16. साथ ही प्रार्थीगण उपर्युक्त राशि बाबत् इस न्यायालय के समक्ष इतनी ही राशि हेतु प्रतिभूति सहित बंधपत्र निष्पादित करें कि सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा यदि मृतक जसवंत सिंह का वारिस अन्य किसी को नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य तरीके से सिविल न्यायालय की

डिक्री में आदेश हो तो वह उपर्युक्त राशि मय बैंक ब्याज सहित न्यायालय को लौटा देगा। यह बंधपत्र निष्पादित होने के पश्चात् ही उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी हो।

(राजन खत्री)
अपर जिला न्यायाधीश रावतसर
जिला–हनुमानगढ़

17. निर्णय आज दिनांक **26–05–2026** को मेरे अनुदेश पर लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजन खत्री)
अपर जिला न्यायाधीश रावतसर
जिला–हनुमानगढ़